विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:	कार्मिक
प्रश्न संख्या तारांकित	:	1144
उत्तर की तिथि	:	05.02.2019
विषय	:	लोक सेवा आयोग
प्रश्नकर्ता का नाम	:	श्री रमेश चंद ध्वाला (ज्वालामुखी)
सम्बन्धित मन्त्री	:	मुख्य मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
(क)प्रदेश लोक सेवा आयोग में वर्तमान में श्रेणीवार कौन–कौन सदस्य हैं; उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशासनिक क्षमता क्या है; और	(क) व (ख) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख)सरकार क्या सदस्यों के चयन के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखती है और चयन हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?	

श्री रमेश चंद ध्वाला (ज्वालामुखी) द्वारा पूछे गए प्रश्न संख्या तारांकित 1144 से सम्बन्धित सूचनाः–

(क) हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग मे वर्तमान में 1 अध्यक्ष व 4 सदस्य कार्यरत हैं। इनके नाम, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशासनिक क्षमता निम्न प्रकार से हैः–

1. मेजर जनरल (सेवानिवृत) धर्मवीर सिंह राणा ... अध्यक्ष

श्रेणी	–	सामान्य
शैक्षणिक योग्यता	–	बी0 एस0 सी0 डिग्री (चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर)
	–	एम0 फिल0 (मद्रास विश्वविद्यालय)
	–	मास्टर ऑफ मैनेजमैंट स्टडीज (ओसमानिया विश्वविद्यालय)
	–	मास्टर डिप्लोमा इन एम0बी0ए0
	–	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सर्विस इन्डस्ट्रीज मैनेजमैंट (पी0 टी0 यू0 पटियाला)
	–	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कप्यूटर ऐपलिकेशन (पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला)
	–	एडवांस कोर्स इन मैनेजमैंट (पी0टी0यू0 जालन्धर)
	–	नेशनल सट्रेटेजिक सिक्योरिटी कोर्स (नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली)
	–	एल0 डी0 एम0 सी0 कोर्स (कॉलेज डिफेंस मेनेजमेंट, सिकान्द्राबाद)
प्रशासनिक क्षमता		भारतीय सेना से मेजर जनरल के पद से सेवानिवृत, अतिविशिष्ट सेवा मेडल व सेना मैडल

2. डॉ0 मान सिंह ..... सदस्य

श्रेणी – अनुसूचित जाति

शैक्षणिक योग्यता
– एम0ए0, एल0एल0बी0
– एल0एल0एम0
– पी0एच0डी0(कानून)

प्रशासनिक क्षमता
– हि0प्र0 प्रशासनिक सेवा से सेवा निवृत
– नायब तहसीदार (1984–88)
– तहसीदार(1988–97)
– जिला राजस्व अधिकारी(अप्रैल 1997– अक्तूबर 1997)
– सहायक आयुक्त (मण्डालाधिकारी)
– सहायक आयुक्त, नगर निगम, शिमला
– एस0डी0एम0, तीसा
–अवर/उप/संयुक्त/विशेष सचिव (कार्मिक एवं राजस्व), हि0 प्र0 सरकार।
– अतिरिक्त निदेशक, खाद्य एवं आपूर्ति, हि0 प्र0।
– अतिरिक्त निदेशक, हि0 प्र0 लोक प्रशासन संस्थान।
– मुख्य सैटलमैन्ट कमिश्नर(सेल्ज)
– राजस्व मामलों में विशेषज्ञता।

3. श्री मोहन लाल चौहान..... सदस्य

श्रेणी	– सामान्य
शैक्षणिक योग्यता	– बी0 ए0(आनर्स) – एल0 एल0 बी0(आनर्स) – एम0बी0ए0(यू0के0)
प्रशासनिक क्षमता	– भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवा निवृत – उप–मण्डलाधिकारी – उपायुक्त – विभिन्न विभागों मे विभागाध्यक्ष। – हिमाचल प्रदेश सरकार में सचिव के पद पर विभिन्न विभागों के कार्य निष्पादन का अनुभव।

4. श्रीमति मीरा वालिया .....सदस्य

श्रेणी	– सामान्य
शैक्षणिक योग्यता	– एम0ए0, एम0फिल0 (अर्थशास्त्र)
प्रशासनिक क्षमता	– 33 वर्षो से अधिक शिक्षा प्रदान करने का अनुभव – प्रधानाचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला – सदस्य, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग – निदेशक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, सोलन। – तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान व्यवसाय प्रथाओं के वैश्वीकरण पर कुआलमपुर, मलेशिया मे पेपर प्रस्तुत किया। – हिमाचल प्रदेश वाणिज्य एवं प्रबन्धन संघ द्वारा वर्ष 2015 मे सर्वश्रेष्ठ प्रशासक से सम्मानित

5. डॉ0 रचना गुप्ता ..... सदस्य

श्रेणी – सामान्य

शैक्षणिक योग्यताएं
– पी0एच0डी0 डिग्री 'समाजशास्त्र' हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
– स्नातकोत्तर 'पत्रकारिता एवं जन संचार'(MJMC) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
– स्नातक 'मानविकी' हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय

प्रशासनिक क्षमता
– पत्रकारिता, लेखन एवं संपादकीय में 23 वर्ष का अनुभव।

<u>प्रिंट मीडिया–</u>
– राष्ट्रीय विख्यात दैनिक समाचार पत्र 'दैनिक जागरण' में ब्यूरो चीफ से लेकर राज्य संपादक तक का उत्तरदायित्व।
– राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र समूह 'इंडियन एक्सप्रेस' एवं 'जनसत्ता' में रिसर्चर, उप संपादक एवं रिपोर्टर पद पर दिल्ली, चंडीगढ़ एवं शिमला में कार्य का अनुभव।

<u>इलैक्ट्रानिक/डिजीटल मीडिया–</u>
– जागरण–टीवी में विशेष संवाददाता।
– डिजीटल–जागरण का हिमाचल प्रदेश का प्रभार।
– राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी में ज्वलंत मुद्दों पर विशेषज्ञ टिप्पणीकार के रूप में सहभागिता।
– विधानसभा कवरेज एवं समीक्षा के लिए विषय विशेषज्ञ की भूमिका।

(ख) लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाता है। इनकी नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद–316 के अनुसार की जाती है, जिसमे उद्धृत प्रावधान अग्रलिखित हैंः–

> लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा और, यदि राज्य आयोग के लिए, के राज्यपाल द्वारा की जाएगी।
>
> परन्तु प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी–अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कम से कम कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं और उक्त दस वर्ष की अवधि की संगणना (Computing) करने मे संविधान के प्रारम्भ से पहले की ऐसी अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने भारत मे क्राउन के अधीन या किसी देशी राज्य की सरकार के अधीन पद धारण किया है।

इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद–316(3) के अनुसार कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य का पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति पर, उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता और भारत के संविधान के अनुच्छेद 319 के परिच्छेद (घ) के अन्तर्गत राज्य लोक सेवा आयोग का कोई भी सदस्य आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्र है।